

अनुमति नहीं शर्तें ।

- (i) जहाँ भवन/सुखमंड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व-निधि की शर्तों पर है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विद्युत (घरघिक, सार्वजनिक, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत भवन के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निस्स की जा सकती है ।

नम्राल खिडकी कंपनी आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 858 दिनांक 13/1/2021

प्राणीश्री श्रीमती शक्ति प्रजा W/O श्री दिव्य सिंघ
ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No- 30/3/2021 कोषिका
धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
भवन निर्माण हेतु मानसित्र कार्यालय में पेश
कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 8000/- जमा
जसिये रसीद संख्या 2069/9053, 9054
दिनांक 13/1/2021 को जमा करा दी है ।

जी+1
आवासीय

13/1/2021

सहायक नगर निरीक्षक
नगर निगम, जोधपुर

दक्षिण

समिता प्रजा

9414720792